न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 01/2020

1 कैलाश कुमार केडिया आयु 69 साल पुत्र स्व. रामोतार केडिया जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी सनसीटी ऑरीजीनस बिल्डिग ब्लॉक डी. 202 सीकर रोड़ हरमाड़ा बाड़ पीपली जयपुर जिला जयपुर (राज.) 302013

2 गोपाल कृष्ण केडिया आयु 66 साल पुत्र स्व. रामोतार केडिया जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी ए सी 127 सरालीला आबसन फैस 1, 3rd फ्लोर बारवारीतोला केसटोपुर नीयर राज. राजेश्वरी मन्दिर ओर स्वीमींग पुल कलकता 700102 (पं. बंगाल)

3 दिनेश केडिया आयु 52 साल पुत्र स्व. रामोतार केडिया जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी 1001 जेसोर रोड़ चीना मन्दिर टोप फ्लोर कलकता 700055 (पं.बंगाल)

अपीलांट

बनाम

1 कमल नयन केडिया आयु 69 साल पुत्र स्व. हीरा जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी 103/2, सरत चटर्जी रोड़ भराट लेक टाऊन फ्लोर नार्थ 24 परगना कलकता 700089 (पं.बंगाल)

2 मु. माया आयु 54 साल पुत्री स्व. हीरालाल स्त्री. विनोद अग्रवाल जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी अमरावती अपार्टमेंट प्रथम फ्लोर, 174 दखीनदारी रोड़ नॉर्थ 24 परगना, कलकता 700048 (पं. बंगाल)

3 मु. लक्ष्मी आयु 59 साल पुत्री स्व. हीरालाल स्त्री. योगेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी काजड़ा, तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी 103/2 सरत चटर्जी रोड़ भराट लेक टाऊन प्रथम फ्लोर नार्थ 24 परगना कलकता 700089 (पं.बंगाल)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

4 मु. लीला आयु 57 साल पुत्री स्व. हीरालाल स्त्री. नारायन अग्रवाल जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी तुलसीधाम 48/9 जैसोर रोड़ साउथ दमदम नार्थ 24 परगना कॉलकता 700089(पं.बंगाल)

5 श्रीमती सीतादेवी केडिया आयु 62 साल स्त्री. स्व. राजकिशोर जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी गोकुल धाम कॉम्पलेक्स 956 जसोर रोड़ लेक टाऊन ब्लाक–एफ 2nd फ्लोर फ्लेट 2डी 1 नार्थ 24 परगना कलकता 700055(पं.बंगाल)

6 सिद्धार्थ केडिया आयु 40 साल पुत्र स्व. राजकिशोर जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी गोकूल धाम कॉम्पलेक्स 956 जसोर रोड़ लेक टाऊन ब्लाक–एफ 2nd फ्लोर फ्लेट 2डी 1 नार्थ 24 पगरना कलकता 700055(पं.बंगाल)

7 मु. राजेश्वरी आयु 41 साल पुत्री स्व. राजकिशोर जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी गोकूल धाम कॉम्पलेक्स 956 जसोर रोड़ लेक टाऊन ब्लाक–एफ 2nd फ्लोर फ्लेट 2डी 1 नार्थ 24 पगरना कलकता 700055(पं.बंगाल)

8 श्रीमती ज्ञानादेवी केडिया आयु 81 साल स्त्री. स्व. मुरलीधर जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी श्याम लेक, गार्डन 202 जसोर रोड़ ब्लॉक ए 4th फ्लोर 24 परगना कलकता 700089(पं.बंगाल)

9 सुमन कुमार केडिया आयु 59 साल पुत्र स्व. मुरलीधर जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी श्याम लेक, गार्डन 202 जसोर रोड़ ब्लॉक ए 4th फ्लोर 24 परगना कलकता 700089(पं.बंगाल)

10 मु. मैना आयु 56 साल पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी राजकुमार अग्रवाल जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी गोकूल धाम कॉम्पलेक्स 956 जसोर रोड़ ब्लाक–ए 5th फ्लोर 24 पगरना कलकता 700089(पं.बंगाल)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 मु. रेखा आयु47 साल पुत्री स्व. मुरलीधर जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी श्याम लेक गार्डन 202, जसोर रोड़ ब्लाक ए 4th फ्लोर 24 परगना कलकता 700089(पं.बंगाल)

12 भगवती केडिया आयु 71 साल पुत्री सेडमल जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी **GC**–135 साल्ट लेक सीटी सेक्टर 3 कलकता 700106 (पं.बंगाल)

13 श्रीमती शकुन्तला केडिया आयु 69 साल स्त्री भगवती केडिया जाति महाजन निवासी काजड़ा तहसील सुरजगढ़ हाल निवासी **GC**–135 साल्ट लेक सीटी सेक्टर 3 कलकता 700106 (पं.बंगाल)

14 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 24.12.2019 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ जिला झुन्झु नू मुकदमा
उनवानी कैलाश वगै. बनाम कमल नयन वगै. मु.न.
91/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

—निर्णय—

दिनांकः— 06.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2019 विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 22 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.न. 23 रकबा 0.14 हैक्टर, ख.न. 524/29 रकबा 0. 67 हैक्टर, ख.न. 29 रकबा 0.67 है., ख.न. 37 रकबा 1.00 है., ख.न. 523/29 रकबा 0.67 है., ख.न. 37 रकबा 1.00 है., ख.न. 522/29 रकबा 0.67 है. कुला किता 8 कुल रकबा 4.50 है. सरहद राजस्व ग्राम काजड़ा तहत तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू में स्थिति है। अपीलान्टस ने उक्त जमीन के बाबत अदालत मातहत के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसके साथ अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा.दी. का पेश किया जिसमें अदालत मातहत ने अपीलान्टस का प्रथम दृष्टया मामला मानकर दिनांक 31.07.2018 को अन्तरिम एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निर्णय पारित किया। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं. 8 से 13 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत मातहत ने प्रकरण के अन्तिम निर्णय पारित करने में सीपीसी के आवश्यक प्रावधानों को नजर अन्दाज कर आलौच्य निर्णय दिनांक 24.12.2019 को पारित कर अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सेढमल व सूरजमल दो भाईयों की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। पक्षकारों का संयुक्त परिवार था। जमाबंदी संवत् 2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प .....)

में दोनों भाइयों का 1/2, 1/2 दर्ज था। इसके उपरान्त के राजस्व रिकार्ड में बिना सक्षम आदेश के अपीलांट के पूर्वज का नाम हटा दिया गया। पक्षकारों के मध्य हक हकूक का निर्धारण मूल वाद में होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखना विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय ने इन बिन्दुओं पर विवेचन किये बिना अपीलांट का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने समर्थन में आर आर डी 2015 पेज नम्बर 497 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मिसल हकीयत 1999 में सेडमल वल्द सेवाराम जो कि अप्रार्थीगण का पूर्वज है के नाम ख.न. 18, 25, 246, 251 दर्ज है। मिसल हकीयत से तैयार की गई जमाबंदी संवत 2012 में ख. नं. 18 व 25 में ही प्रार्थी के पूर्वज रामोतार का नाम दर्ज है। भूमि पैतृक होती तो मिसल हकीयत से तैयार जमाबंदी संवत 2012 में भी उक्त चारों खसरा 18, 25, 246 व 251 में प्राथीगण के पूर्वजों का नाम होता। संवत 2012 की जमाबंदी के बाद की सभी जमाबंदी में अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 2007 पेज 438 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। मिसल हकीयत 1999 में सेडमल वल्द सेवाराम जो कि अप्रार्थीगण का पूर्वज है के नाम ख.न. 18, 25, 246, 251 दर्ज है। मिसल हकीयत से तैयार की गई जमाबंदी संवत 2012 में ख. नं. 18 व 25 में ही प्रार्थी के पूर्वज रामोतार का नाम दर्ज है। भूमि पैतृक होती तो मिसल हकीयत से तैयार जमाबंदी संवत 2012 में भी उक्त चारों खसरा 18, 25, 246 व 251 में प्राथीगण के पूर्वजों का नाम होता। संवत 2012 की जमाबंदी के बाद की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सभी जमाबंदी में अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रार्थीगण के पूर्वज रामोतार का नाम खसरा नम्बर 18 व 25 में केवल सवंत 2012 में आया है। इसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में रामोतार का नाम दर्ज होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। संवत 2012 अर्थात् 1955 से प्रार्थना पत्र दायरी की दिनांक 29.06.2018 अर्थात लगभग 66 वर्ष पश्चात विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। संवत् 2012 के उपरांत प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रहा हो, वर्तमान में हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर